

मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 19-39/2002/12/1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक.....9-7-09


समस्त कलेक्टर,  
जिला-  
मध्यप्रदेश

विषय:- सड़क निर्माण/मरम्मत में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी के निर्धारण के संबंध में ।

विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22-10-08 द्वारा सड़क

निर्माण/मरम्मत निर्माण कार्य में प्रयुक्त सिलेक्टेड स्वाइल पर रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसे पूर्ण विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है।

म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मुरम खनिज हेतु रायल्टी की दर का निर्धारण कर अधिसूचित की गई है। म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम-2 में मुरम खनिज को परिभाषित नहीं किया गया है। फलस्वरूप मुरम एवं सिलेक्टेड स्वाइल को भौतिक रूप से अन्तर का निर्णय किये जाने में उत्पन्न हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि ऐसी मिट्टी जिसकी सी.बी.आर. (C.B.R.) वेल्यू- 12 (बारह) या इससे अधिक है, को मुरम के रूप में वर्गीकृत करते हुए रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर से की जाए ।



(एस.के. मिश्रा)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग

क्रमशः...

3097  
3-8-09

AMO

AMO  
21  
Collectors  
More Collectors


(2)

पृ० क्रमांक एफ 19-39/2002/12/1

भोपाल, दिनांक.....9-7-09

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
- 3- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन (खण्ड-2) पंचम तल भोपाल।
- 5- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास कारपोरेशन लि०, 16 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल



सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग